

इच्छा

क्र० क्र० सिन्धा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में
जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।
राजस्व अनुभाग—10

लखनऊ, दिनांक: ५६ जून, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु घनावटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1389 / 1-10-2010-12(72) / 2010, दिनांक 16.4.2010 द्वारा रु 30,00,000/- की धनराशि आवंटित की गयी थी। आपके पत्र संख्या—1580 / आपदा—अतिरिक्त धनावटन—2010-11, दिनांक 26.05.10 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने हेतु अग्रिम रूप से रु 30,00,000/- (रुपये तीस लाख भाव) की अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके नियंत्रण पर रखने की श्री राज्यपाल सहोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अब तक इस मद में जनपद को रु 60.00 लाख की धनराशि उपलब्ध हो चुकी है।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या—51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—आयोजनेत्तर—05—आपदा राहत निधि—800—अन्य व्यय—03—आपदा राहत निधि से व्यय—42—अन्य व्यय" के नामे ढाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या—जी0आई0-134 / 1-11-2007-46 / 97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 तथा शासनादेश संख्या—जी0आई0-109 / 1-11-2009-46 / 97, दिनांक 7 अक्टूबर, 2009 (दैवी आपदा से पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट पक्का मकान हेतु राहत सहायता की धनराशि रु 25000/- से बढ़ाकर रु 35000/- प्रति मकान किया गया है), में जहाँ राहत प्रदान करने के लिये मानक निर्धारित हैं अर्थात् जहाँ राहत सहायता के वितरण हेतु धनराशि निर्धारित है, उन मदों ने आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। लेकिन उन मदों में धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी, जिसमें निर्णय लेने हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति को अधिकृत किया गया है। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न

विद्या जाय। अग्रहर यह सुनिश्चित किया जाय कि आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय केवल दैर्घ्यी आपदाओं— अग्निकाण्ड, भूस्खलन, बाढ़ फटने, हिम स्खलन, घबरात, सूखा, भूकम्प, बाढ़, औलायृष्टि, कोट आकमण तथा सुनामी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के निमित्त व्यय की जाय। सामान्य दुर्घटनाओं—सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, दंगा फसाद, विद्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तार-३ में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई 2007 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अह मानकों मदों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मदों में राहत अनुमन्य है, तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4464/1-10-2008-14(45)/2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दैर्घ्यी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले ₹० 2000/- तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा ₹० 2000/- से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेशी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में दैर्घ्यी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

6. राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाय।

7. कातिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया

जाए। शासन द्वारा आवीषक घनराशि में को हाँ एवं न लगायेंगे हों तो उन्हें दिनांक
३१ मार्च, २०११ से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाए।

९. रुक्त घनराशि का राष्ट्रीय द्विमाण एवं वित्तीय दस्तावेज़का अप्प—६ भाग—१
के प्रस्तर—३६९ एवं वे अधीन निर्धारित प्रालय संख्या—४२ आइ में शासन को लगाते
रुपलब्ध कराया जाए।

१०. देवा आपदा राहत निधि से स्थीकृत घनराशि का जिला स्तर पर समुचित
लेखा—जीखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा
हस्ताक्षरित किया जाए।

११. व्यय की घनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही नदों में पुस्ताकन कराया
जाए और प्रत्येक माह में गहालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित
कराकर शासन को सूचित किया जाए।

भवदीश

(के० के० सिन्हा) २०११/०८

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या—१९५९(१) / १-१०-२०१०—१२(६) / २०१०, तदूदिनांक

प्रतिलिपि निन्नलिखित को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

१. महालेखाद्यास— प्रथम, ३० प्र० इलाहाबाद।
२. मण्डलायुक्त इलाहाबाद मण्डल।
३. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३० प्र० लखनऊ।
४. कार्याधिकारी, इलाहाबाद।
५. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—५
६. समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग—१० / राजस्व अनुभाग—६ / ११ /
राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
७. गार्ड फाइल।

आज्ञा सं
८०३०६०८

(राजेन्द्र प्रेसाद)

अनु सचिव